उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

विरूद्ध

निधि खन्ना तथा अन्य

11 मई, 2007

[सी. के. ठाकर और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे.जे.]

सेवा विधि-नियुक्ति- विज्ञापन के अनुसरण में अभ्यर्थी का चयन प्रतीक्षा सूचि में रखा गया। नियुक्ति मांगी गयी। इस आधार पर अस्वीकार की गयी कि उत्तरवर्ती विज्ञापन के अनुसरण में तैयार की गई योग्यता सूची के बाद, पूर्व के विज्ञापन के आधार पर तैयार की गयी योग्यता सूची समाप्त हो चुकी थी। रिट याचिका- उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश देते हुऐ परमादेश रिट जारी की। अपील होने पर अभिनिर्धारित किया गया कि रिट अधिकारीगण को कानून के विपरीत कार्य करने के निर्देश हेतु जारी की गयी थी-वैधानिक प्रावधानों के तहत नई सूची के तैयार होते ही पुरानी सूची समाप्त हो जाती है- उत्तर प्रदेश उच्च सेवा आयोग अधिनियम, 1980- धारा 12 एवं 13

प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 29 के अनुक्रम में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया। उनका चयन किया गया और उनका नाम प्रतीक्षा सूची में

क्रम संख्या 1 पर रखा गया। कोई पत्र नहीं प्राप्त होने पर, वह अपनी नियुक्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए निदेशक से मिलीं और उन्हें बताया गया कि उन्हें मेरठ के एक महाविद्यालय में नियुक्त करने का पत्र भेजा गया था। चूंकि उसने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी। उसने इस तरह का कोई पत्र मिलने से इनकार किया। उसने इलाहाबाद के एक महाविद्यालय में अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना की। महाविद्यालय को उन्हें नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विज्ञापन संख्या 29 के तहत तैयार की गई सूची समाप्त हो चुकी थी क्योंकि विज्ञापन संख्या 32 के तहत नई सूची तैयार की गई थी। प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की रिट याचिका स्वीकार करते हुऐ संबंधित अधिकारीगण को प्रत्यर्थी संख्या 01 को इलाहाबाद के कॉलेज में नियुक्त करने हेतु निर्देशित किया। इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुऐ अभिनिर्धारित किया-

उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को इलाहबाद के महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त करने के लिए अपीलकर्तागण को निर्देश देते हुऐ परमादेश रिट जारी करना उचित नहीं था। एक बार जब यह स्थापित हो गया कि विज्ञापन संख्या 29 के अनुसार

प्रत्यर्थी का चयन कर उसे प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध किया गया था और उसके बाद विज्ञापन संख्या 32 जारी किया गया था और योग्यता सूची तैयार की गई थी, तब वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। उत्तर प्रदेश उच्च सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत जैसे ही नई सूची तैयार हो जाती है पुरानी सूची समाप्त हो जाती है। उच्च न्यायालय अधिकारीगण को कानून के विपरीत कार्य करने का निर्देश देते हुऐ परमादेश रिट जारी नहीं कर सकता था। यह परमादेश रिट जारी करने की परिधि और व्याप्ती के अंतर्गत नहीं आता है। [पैरा 7 और 17]

बिहार राज्य तथा अन्य विरूद्घ मदनमोहन सिंह और अन्य , [1994] पूरक 3 एस. सी. सी. 308 एवं *कमलेश कुमार शर्मा विरूद्घ योगेश कुमार गुप्ता और अन्य* [1998] 3 एस. सी. सी. 45, पर विश्वास किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः सिविल अपील सं. 2442/2007

इलाहबाद उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल विविध याचिका संख्या 45418/2003 में दिनांक 15.03.2004 को पारित अंतिम निर्णय व आदेश से।

शोभा दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा निरंजना सिंह अपीलार्थीगण की ओर से।

प्रमोद स्वरूप उत्तरदातागण की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर के द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. यह अपील इलाहबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 45418/2003 में दिनांक 15 मार्च, 2004 को पारित निर्णय और आदेश के विरूद्घ प्रस्तुत की गयी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 1 (याचिकाकर्ता) को इलाहबाद के सीएमपी डिग्री कॉलेज में भूगोल के व्याख्याता के पद पर पदस्थापित करने हेतु तत्काल नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया।

3. वर्तमान अपील के उदभव के संबंध में संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जून, 2000 में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (संक्षिप्त में 'आयोग') ने विभिन्न गैर-सरकारी डिग्री (पीजी) महाविद्यालय में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिये विज्ञापन संख्या 29 प्रकाशित किया। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 (याचिकाकर्ता) ने अगस्त, 2000 में भूगोल में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया था। दिनांक 19 जुलाई, 2001 को एक चयन सूची तैयार की गई थी। जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 01 को चयनित घोषित किया गया था, लेकिन उनका नाम सामान्य

वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 1 पर रखा गया था। अपीलार्थीगण का मामला यह है कि अपीलार्थी संख्या 02 निदेशक उच्चतर शिक्षा, उ. प्र., इलाहाबाद के द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2002 को एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 को आर. जी. गर्ल्स महाविद्यालय, मेरठ में भूगोल के व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थीगण के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मेरठ महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जिसके कारण अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गयी और प्रत्यर्थी संख्या 01 की नियुक्ति रद्द कर दी गयी। विज्ञापन संख्या 32 के अनुसरण में दिनांक 5 मार्च, 2003 को, एक अन्य योग्यता सूची तैयार की गयी आैर दिनांक 7 मार्च, 2003 को चयनित अभ्यर्थियों के नाम निदेशक को प्राप्त हुए। दिनांक 3 जुलाई 2003 को, प्रत्यर्थी संख्या 01 निदेशक से मिली और उन्होंने कहा कि यद्यपि उसका भूगोल में व्याख्याता के रूप में चयन हुआ था और उसका नाम प्रतीक्षा सूची के क्रम संख्या 01 पर रखा गया था। उसे कोई नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 01 ने निदेशक को यह भी बताया कि सी.एम.पी. डिग्री महाविद्यालय, इलाहाबाद में एक पद रिक्त था और उक्त महाविद्यालय को प्रत्यर्थी संख्या 1 को नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए उसने प्रार्थना की कि उसे सी.एम.पी. डिग्री महाविद्यालय, इलाहाबाद में नियुक्त किया जाऐ। उसकी इस प्रार्थना को अपीलार्थीगण के द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि विज्ञापन संख्या 32 के तहत

मार्च, 2003 में नई सूची तैयार की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 का चयन विज्ञापन संख्या 29 के तहत किया गया था, लेकिन उक्त सूची समाप्त हो गई थी क्योंकि यह केवल नई सूची तैयार होने तक वैध थी। इसलिए, भले ही सी. एम. पी. महाविद्यालय, इलाहाबाद को प्रत्यर्थी संख्या 1 की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन नई सूची तैयार होने के बाद उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इसने प्रत्यर्थी संख्या 1 को रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया। याचिका में उसका कहना था कि उसे मेरठ महाविद्यालय में भूगोल के व्याख्याता के रूप में उसकी नियुक्ति के बारे में कभी कोई आदेश या सूचना नहीं मिला था और न ही उसे उस महाविद्यालय में उसकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया था। यद्यपि अपीलार्थीगण ने इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) के दावे का खण्डन करते हुऐ एक शपथ पत्र दायर किया, न्यायालय ने माना कि अधिकारीगण का रूख मान्य नहीं था और वे प्रत्यर्थी संख्या 01 को नियुक्ति नहीं देने के लिये जिम्मेदार थे और उन्होंने मनमाने ढंग से कार्य किया था। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) का चयन आयोग द्वारा किया गया था और उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया था और चूंकि सी. एम. पी. डिग्री महाविद्यालय, इलाहाबाद में भूगोल में व्याख्याता का पद रिक्त था, इसलिए याचिका स्वीकार करते हुए और अधिकारीगण को निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट जारी की गयी कि सी. एम. पी. डिग्री महाविद्यालय, इलाहाबाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 को तत्काल नियुक्त करे।

4. उपरोक्त आदेश को अधिकारीगण के द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई है। 14 जुलाई, 2004 को नोटिस जारी किया गया और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी गई। जिसके पश्चात शपथ पत्र और अग्रिम शपथ पत्र दाखिल किये गये। विवाद और इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुऐ, रजिस्ट्री को मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का निर्देश जारी किया गया था और इस तरह मामले को हमारे सामने रखा गया है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारीगण को सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज इलाहबाद में प्रत्यर्थी संख्या 01 को अविलम्ब नियुक्ति करने के निर्देश देकर विधिक भूल की है। यह भी निवेदन किया गया कि एक बार मार्च 2003 में चयन सूची तैयार होने के बाद पुरानी सूची समाप्त हो गयी थी और उस सूची के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। यह भी निवेदन किया गया था कि अपीलार्थीगण के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 01 को सूचित किया गया कि उसे मेरठ कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया था किंतु उसने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया इसलिये अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया इसलिये उसके पास अपनी शिकायत करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, प्रत्यर्थी

संख्या 01 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने का आदेश देकर अपास्त किये जाने योग्य है।

6. उसके विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 का आयोग द्वारा चयन स्वीकृत है। वह प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 01 पर थी। इसलिये प्रतीक्षा सूची से किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति का मामला प्रकट होने पर संबंधित अधिकारीगण का उसके दावे पर विचार किया जाना अनिवार्य था। उसे कभी कोई सूचना/आदेश नहीं मिला कि उसे मेरठ महाविद्यालय में नियुक्त किया गया है और जुलाई 2003 में ही निदेशक ने उसे बताया कि उसने मेरठ महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसलिये उसने स्वयं को सी.एम.पी. कॉलेज इलाहबाद में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति हेतु प्रार्थना की थी और संबंधित महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार उसकी स्वयं की कोई गलती नहीं होने के बाद भी उसे कष्ट सहना पडा। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का संबंधित अधिकारीगण को प्रत्यर्थी संख्या 01 की नियुक्ति इलाहाबाद महाविद्यालय में देने के लिये निर्देश दिये जाने का आदेश सही था और उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी।

7. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरांत हमारी राय में प्रत्यर्थी संख्या 1 (याचिकाकर्ता) को सी. एम. पी. डिग्री महाविद्यालय, इलाहाबाद में भूगोल में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु अपीलकर्ताओं को निर्देश देते हुऐ उच्च न्यायालय का परमादेश रिट जारी करना न्याय संगत नहीं था।

8. उभयपक्षों के परस्पर विरोधाभासी तर्कों पर विचार करने से पूर्व वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा । 1980 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के नाम से जाना जाता है। (जिसे आगे "अधिनियम" के नाम से जाना जायेगा)। अधिनियम की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि "किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये अध्यापकों के चयन के लिये या आनुषंगिक विषयों के लिये सेवा आयोग की स्थापना" के दृष्टिकोण से इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। 'आयोग' को उच्चतर सेवा आयोग स्थापना की धारा 3 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। जिसका अध्याय II आयोग की स्थापना, इसकी संरचना, पद की शर्तें और सेवा की शर्तें आदि से संबंधित है। अध्याय III आयोग के कार्यों और उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का विनिर्दिष्ट करता है। उस समय विद्यमान धारा 12 और 13 तात्विक हैं जिन्हें पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

"12. *शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया*--(1) इस अधिनियम में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा की जायेगी और उसके उल्लंघन में प्रत्येक नियुक्ति शून्य होगी।

(2) प्रबंधन मौजूदा रिक्तियों और आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों के बारे में निदेशक को ऐसे समय और ऐसे तरीके से सूचित करेगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण अभिव्यक्ति "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य 01 जुलाई से आरम्भ होनेवाले आगामी 12 माह की अवधि है।

(3) सभी महाविद्यालयों की ओर से निदेशक को सूचित की गयी रिक्तियों के संबंध में निदेशक उक्त रिक्तियों को विषय अनुसार समेकित करके आयोग को ऐसी रीति से और ऐसे समय और ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा विहित किया गया है।

4) महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन की रीति ऐसी होगी, जो विनियमों के द्वारा निर्धारित की जा सके।

यह कि आयोग प्रतिभावान व्यक्तियों को आमंत्रित करने हेतु उपधारा 03 के अंतर्गत अधिसूचित रिक्तियों का राज्य में वृहद स्तर पर प्रचार करेगा।

परंतु यह और कि अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि जिन महाविद्यालयों की रिक्तयां विज्ञापित की गयी है उनमें वे अपनी वरियता प्राथमिकता के आधार पर इंगित करे।

13. *आयोग की सिफारिश* (1) धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत रिक्तियों की अधिसूचना जारी होने के पश्चात आयोग यथासंभव शीघ्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार (लिखित परीक्षा के साथ या उसके बिना) आयोजित करेगा एवं प्रत्येक विषय में सर्वाधिक उपयुक्त पाऐ गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश के साथ उनके नामों की संख्या की सूची यथासंभव शीघ्र निदेशक को भेजेगा जिसमें प्रत्येक विषय में सर्वाधिक उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के नामों की संख्या उस विषय में रिक्तियों की संख्या से यथासंभव पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी। ऐसे नामों को साक्षात्कार अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार (यदि कोई परीक्षा हुई हो तो)

में दर्शाई गयी उनकी योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा।

(2) आयोग द्वारा भेजी गई उक्त सूची आयोग से नई सूची प्राप्त होने तक वैध होंगी।

(3) निदेशक धारा 12 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अभ्यर्थियों के द्वारा इंगित वरियता क्रम यदि कोई हो, को विहित प्रकार से उचित सम्मान प्रदान करेगा तथा धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचित रिक्तियों की नियुक्ति हेतु उपधारा (2) में संदर्भित अभ्यर्थियों के नामों की सूची प्रबंधन को सूचित करेगा।

(4) जहां उपधारा 2 के अंतर्गत संदर्भित सूची की वैधता अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से कोई रिक्ति प्रकट होती है और ऐसी रिक्ति धारा 12 की उपधारा 3 के अन्तर्गत आयोग को अधिसूचित नहीं की गयी है तो निदेशक ऐसे रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसी सूची में से किसी अभ्यर्थी का नाम प्रबंधन को सूचित कर सकता है।

(5) पूर्व की प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों में कुछ भी निहित होने के बावजूद जहां किसी महाविद्यालय में शिक्षक के किसी पद का उन्मूलन हो जाता है ऐसे पद पर मौलक रूप से नियुक्त व्यक्ति की सेवाऐं समाप्त कर दी जाती हैं। राज्य सरकार उपयुक्त रिक्ति में उनकी नियुक्ति के लिये उपयुक्त आदेश दे सकती है चाहे वह धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन किसी अन्य महाविद्यालय में अधिसूचित हो अथवा नहीं, और उसके बाद निदेशक तदनुसार प्रबंधन को सूचित करेगा।

(6) निदेशक उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना की एक प्रति संबंधित अभ्यर्थी को भेजेगा।" (बल दिया गया)

9. धारा 14 निदेशक द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में प्रबंधन पर शिक्षकों की नियुक्ति का कर्तव्य अधिरोपित करती है। धारा 15 निदेशक को प्रबंधन से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करती है जिससे वह उचित कार्यवाही करने में सक्षम हो सके। आयोग किसी भी ऐसे कॉलेज के प्रबंधन से ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये अधिकृत है जैसा वह उचित समझे। उसके पास प्रबंधन के अभिलेखों व रजिस्टरों का निरीक्षण करने की शक्ति भी है।

10. अपीलार्थीगण का मामला यह है कि अपीलार्थी सं. 2, निदेशक उच्चतर शिक्षा ने 23 नवंबर, 2002 को प्रत्यर्थी संख्या 1 और आर. जी. महाविद्यालय, मेरठ को यह सूचित किया कि उनके महाविद्यालय में कुमारी श्रद्धा श्रीवास्तव के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण उक्त कॉलेज में भूगोल के व्याख्याता की एक रिक्ति उत्पन्न हो गई थी। इसलिये धारा 13 की उपधारा 04 के अंतर्गत आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुमारी निधि खन्ना (प्रत्यर्थी सं. 1: रिट याचिकाकर्ता) को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसलिए उक्त महाविद्यालय में प्रत्यर्थी संख्या 01 की भूगोल के व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने के लिये आदेश जारी करने तथा पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जाने हेतु प्रबंधन को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 01 को भी संबंधित अधिकारीगण के द्वारा पंजीकृत पत्र से सूचित किया गया। निस्संदेह यह सत्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 के अनुसार उसे ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। किंतु उच्च न्यायालय में भी अपीलार्थीगण का यह मामला रहा है कि उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 01 को उसके द्वारा प्रेषित पते पर पंजीकृत डाक से पत्र भेजा गया था किंतु उसके द्वारा मेरठ कॉलेज में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया इन परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति दी गयी। इसलिये यह निवेदन किया गया कि नई सूची तैयार होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 01 के द्वारा अपनी नियुक्ति हेतु आग्रह किये जाने का कोई अधिकार नहीं था।

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में *बिहार राज्य तथा अन्य बनाम मदन मोहन सिंह तथा अन्य [1994] पूरक 3 एस.सी.सी. 308* का संदर्भ लिया। इस न्यायालय की तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ ने इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि नियुक्तियों को पूर्ण करने के लिये तैयार की गयी चयन सूची उन्हीं रिक्तियों के लिये वैध होगी जिनके लिये वह तैयार की गयी थी। अन्य रिक्तियों के लिये नई सूची तैयार करनी होगी और विज्ञापित नहीं की गयी रिक्तियों के लिये तैयार की गयी सूची से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। *मदनमोहन सिंह* के मामले में सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीशों की 32 रिक्तियों की पूर्ति करने के लिये सीधी भर्ती के विरूद्घ आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे एवं 128 (32x4=128) अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गयी थी किंतु अंतिम 2 अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त हुऐ थे जिनके नाम क्रम संख्या 128 तथा 129 पर अंकित थे, उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक साक्षात्कार के पश्चात 32 अभ्यर्थी का पैनल तैयार किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को 02 मार्च 1991 को चिकित्सकीय परीक्षण के लिये उपस्थित होने के लिये कहा गया। हालांकि न्यायालय की पूर्ण पीठ ने बाद में उत्पन्न हुई रिक्तियों को भी शामिल करना चाहा और बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को पहले से तैयार की गयी योग्यता सूची के भरने का निर्णय लिया इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय की इस कार्यवाही को इस

आधार पर अमान्य करार दिया क्योंकि पश्चातवर्ती रिक्तियों के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में ऐसी सूची में से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।

12. जिस प्रश्न पर हमें निर्णय लेने के लिए कहा गया है, उसी के समान एक प्रश्न निर्णय हेतु हमारे समक्ष रखा गया है। *कमलेश कुमार शर्मा बनाम योगेश कुमार गुप्ता और अन्य,* [1998] 3 एससीसी 45:जेटी (1998) 1 ए.सी.सी. 642 में अधिनियम की धारा 12, 13 और 14 की व्याख्या के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिये आया था। *कमलेश कुमार* के मामले में आयोग द्वारा 20 अप्रैल, 1992 को प्रधानाचार्यों की निश्चित रिक्तियों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। अपीलकर्ता ने उक्त पद के लिये आवेदन किया और चयन सूची में उसका नाम दर्ज हो गया किंतु कतिपय कारणों से उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी। 1 जुलाई, 1993 को एक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य की सेवानिवृती के कारण प्रधानाचार्य का एक पद रिक्त हुआ। उच्चतर शिक्षा के निदेशक ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 04 में निहित शक्तियों का कथित तौर पर प्रयोग करते हुऐ महाविद्यालय के प्रबंधन को प्रधानाचार्य की चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने हेतु निर्देशित किया। उक्त कार्यवाही को चुनौती दी गयी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि विज्ञापन 20 अप्रैल, 1992 को जारी किया गया था और प्रधानाचार्य का पद 1 जुलाई, 1993 को रिक्त हुआ था इसलिये कोई

नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। इसके विपरीत संबंधित अधिकारीगण ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत शब्द 'अन्यथा' को उसी प्रकार का मानते हुए नहीं पढ़ा जाना चाहिए और यह इतना व्यापक था कि इसके दायरे में सभी रिक्तियों को शामिल किया जा सकता था, जिनमें वे रिक्तियां भी शामिल थी जिनके लिये शायद साक्षात्कार आयोजित नहीं किया गया होगा। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को उद्धृत करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा; "पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और संबंधित अधिनियम के प्रावधनों व नियमों के अवलोकन के बाद हम यह पाते हैं कि उपरोक्त संशोधन शिक्षकों की तदर्थवाद और अनियमित नियुक्ति को समाप्त करने के लिए लाये गऐ थे। यह पक्षपात, भाई-भतीजावाद और अन्य प्रक्रियाओ को समाप्त करने के लिये भी है जिसके माध्यम से मेधावी प्रतिभावान शिक्षकों को छोडकर अयोग्य, अवांछनीय व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी थी। उपधारा 3 की अधिसूचना के अनुसार धारा 12 की उप-धारा 04 के परंतुक में वर्णित प्रावधन ऐसी रिक्तियों को प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा पूर्ण करने के लिये विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार का प्रावधान करता है। यहां इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जब भी ऐसी रिक्ति उत्पन्न हो तो चयन वृहद विज्ञापनों के माध्यम से एक बडे वर्ग से होना चाहिये जिसमें बडी संख्या में प्रतिस्पर्धा करने वाले आवेदक शामिल होंगें। दोनों तदर्थ नियुक्ति और ऐसी किसी भी रिक्ति के लिए की गई नियुक्ति जो ठीक से विज्ञापित नहीं है,

उस क्षेत्र को सीमित करती है जहां इसे या तो पुराने अधिनियम के तहत नियमित किया जा सकता है या साम्य व सहानुभूति के सिद्धांत के तहत नियमित किया जा सकता हो, यदि कोई मामला बनता है तो वह शिक्षण के मानक को कम करके शिक्षण संस्थान की नींव को नष्ट करता है।

13. न्यायालय ने कहा;

"हम सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाते हैं कि यदि अपीलकर्ता के तर्क को "अन्यथा" शब्द की व्यापक व्याख्या देकर स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। दूसरे शब्दों में यह उस रिक्ति को भरने की अनुमति देगा जिसका विज्ञापन कभी नहीं किया गया था और ऐसा व्यक्ति चयन सूची में अवशोषित कर लिया जायेगा जिसने रिक्ति के लिये आवेदन ही नहीं किया। इस प्रकार यह प्रत्येक रिक्ति को भरने के लिये विज्ञापन देकर बडे आवेदकों को आकर्षित करने के प्रावधान के उद्येश्य के विपरीत चयन के क्षेत्र को सीमित कर देगा। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आगामी शैक्षणिक वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्ति की पूर्ति हेतु,जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4), के अंतर्गत कोई विज्ञप्ती जारी नहीं की गयी हो,ऐसा

व्यक्ति जो पूर्व के प्रश्नगत शैक्षणिक वर्ष में पैनल सूची में आया हो, उसे अवशोषित या नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 'अन्यथा' शब्द को समान प्रकार से पढा जाना चाहिये जिसका अर्थ यह है कि मृत्यु, त्यागपत्र, दीर्घ अवकाश की रिक्ति, अवैध रिक्ति, विधिवत चयन होने के बाद शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों के समान समूह से हैं। दूसरे शब्दों में यह अप्रत्याशित रिक्तियों का मामला होगा जिसकी धारा 12 (2) के अंतर्गत कल्पना नहीं की जा सकती। धारा 12 (2) एक ऐसी रिक्ति की कल्पना करती है जो रिक्ति विज्ञापन विज्ञापित होने की तिथि पर विद्यमान है और जो भविष्य में होने की संभावना है किंतु आगामी प्रश्नगत शेक्षणिक वर्ष में समाप्त होने वाली अवधि के लिये सीमित है। धारा 12 (2) के अंतर्गत शब्द 'संभावना होने के बाद' का अर्थ ''आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान'' शब्द से है जिसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के संबंधित शैक्षणिक वर्ष के अंत तक सेवानिवृत होने की संभावना है। इसके शब्दों में ऐसी रिक्तियां प्रत्याशित हो सकती है और अप्रत्याशित नहीं हो सकती हैं। जहाँ धारा 13(4) के तहत अप्रत्याशित रिक्तियां है जो समूह, मृत्यु और/या इस्तीफे के अंतर्गत आती हैं। इसलिये शब्द 'अन्यथा' की एेसी

व्यापक और उदार व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिससे बडी संख्या में अपेक्षित आवेदक बाहर हो जाऐंगे जो संबंधित वर्ष में होने वाली रिक्तियों के लिये आवेदन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

14. हमारी राय में, उपरोक्त वर्णित विधिक स्थिति को देखते हुऐ, अपीलार्थीगण का यह तर्क सही है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को विज्ञापन संख्या 32 के अनुसरण में नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उन्हें विज्ञापन संख्या 29 के अनुसार चुना गया था और सूचीबद्ध किया गया था।

15. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की कोई गलती नहीं थी । यह भी कहा गया था कि यद्यपि अधिकारीगण ने प्रख्यात किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को उनके द्वारा दिऐ गऐ पते पर एक सूचना भेजी गयी थी, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी भी ऐसी तथाकथित सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। यह भी निवेदन किया गया कि जिस पते पर ऐसी सूचना भेजी गयी था वह सही पता नहीं था। यह केवल इस तथ्य के कारण था कि उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी थी, जिसने प्रतिवादी नंबर 1 को उनसे संपर्क करने के लिए विवश किया कि उसकी नियुक्ति का क्या हुआ, यद्यपि वह प्रतीक्षा सूची में क्रमांक 1 पर थी। केवल उस समय उन्हें नियुक्ति के आदेश और मेरठ महाविद्यालय में उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया था,

किंतु चूंकि उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया। संक्षेप में इस पश्चातवर्ती घटनाक्रम के कारण प्रत्यर्थी संख्या 01 ने सी. एम. पी. महाविद्यालय, इलाहाबाद के प्रबंधन से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया। विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विश्वास करते हुऐ उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को यह देखते हुऐ अनुतोष प्रदान किया कि यह अधिकारीगण की गलती थी जिससे प्रत्यर्थी संख्या 01 को क्षति नहीं होनी चाहिये थी।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 के कथन की सत्यता या अन्यथा पर अंतिम राय व्यक्त किऐ बिना, भले ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा उच्च न्यायालय में और इस न्यायालय में किये गये कथन को विश्वास किया जावे, हमारे दृढ मत के अनुसार पूर्व में संदर्भित स्पष्ट एवं वैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में एवं कमलेश कुमार शर्मा के मामले में घोषित विधि के प्रकाश में उच्च न्यायालय को परमादेश रिट जारी नहीं करनी चाहिये थी।

17. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 19 जुलाई, 2001 को विज्ञापन संख्या 29 के अनुसरण में प्रत्यर्थी का चयन किया जाकर उसे प्रतीक्षा सूची के पेनल में रखा गया था। यह भी विवादित नहीं है कि विज्ञापन संख्या 32 इसके बाद जारी किया गया था और योग्यता सूची 5 मार्च, 2003 को तैयार की गई थी जिसे निदेशक ने 7 मार्च, 2003 को प्राप्त किया था। एक बार उपरोक्त तथ्य स्थापित होते ही वैधानिक प्रावधान लागू हो

जाऐंगे। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत नई सूची तैयार होते ही पुरानी सूची समाप्त हो जाती है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ, हमारे दृढ़ मत में उच्च न्यायालय के द्वारा अधिकारीगण के विधिक विरूद्घ कार्य करने का निर्देश देने वाली परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती थी। यह परमादेश रिट की व्याप्ति और सीमा के भीतर नहीं है।

18. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार किये जाने योग्य है एवं तदनुसार स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता (प्रत्यर्थी संख्या 01) के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जगमोहन अग्रवाल-II (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।